रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112021-230955 CG-DL-E-03112021-230955

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4233]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 3, 2021/कार्तिक 12, 1943

No. 4233]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 2021/KARTIKA 12, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली 03 नवम्बर, 2021

सं. 40 / 2015-2020

विषय : आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची—I (आयात नीति) में यूरिया [एक्जिम कोड 31021000] की आयात नीति शर्त में संशोधन।

का.आ. 4594(अ).—समय—समय पर यथा—संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पिठत विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 31 के यूरिया [एक्जिम कोड 31021000] की नीतिगत शर्त में तत्काल प्रभाव से, निम्नानुसार संशोधन करती है:

एक्जिम कोड	मद विवरण	नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
31021000	यूरिया, जलीय घोल में हो या नहीं हो	राज्य व्यापार उद्यम	के पैरा 2.20 के अध्यधीन	विदेश व्यापार नीति 2015—2020 के पैरा 2.20 के अध्यधीन आरसीएफ और एनएफएल के माध्यम से आयात अनुमत है। इसके अलावा, यूरिया का आयात 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के

6384 GI/2021 (1)

	औद्योगिक उपयोग / एनपीके के विनिर्माण के अभिप्राय से तकनीकी ग्रेड यूरिया (टीजीयू) का आयात मुक्त होगा।	लिए आईपीएल के माध्यम से भी अनुमत है। तथापि गैर कृषि प्रयोजन/ औद्योगिक उपयोग/एनपीके के विनिर्माण के अभिप्राय से तकनीकी ग्रेड यूरिया (टीजीयू) का आयात ''मुक्त'' होगा।
--	--	---

2. अधिसूचना का प्रभावः

विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 2.20 के अध्यधीन राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) के अलावा, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) और इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) के माध्यम से यूरिया के आयात की अनुमित दी गई है। एनएफएल और आईपीएल को सरकारी खाते से यूरिया के आयात के लिए एसटीई के रूप में नामित किया गया है। तथापि, आईपीएल को केवल 31 मार्च, 2022 तक सरकारी खाते से यूरिया का आयात करने की अनुमित है। अब से एमएमटीसी और एसटीसी को यूरिया के आयात के लिए एसटीई के रूप में डी—नोटिफाई कर दिया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/102/एएम-02/पीसी-2(क) पार्ट-II/ई-1715] अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2021

No. 40/2015-2020

Subject: Amendment in import policy condition of Urea [Exim Code 31021000] in the ITC (HS) 2017, Schedule – I (Import Policy).

S.O. 4594(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the policy condition of Urea [EXIM code 31021000] of Chapter 31 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy), with immediate effect, as under:

Exim Code	Item Description	Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
31021000	Urea, whether or not in aqueous solution	State Trading Enterprise	STC, MMTC and RCF subject to Para 2.20 of Foreign Trade Policy,	However, import of Technical Grade Urea (TGU) meant for non-agricultural

2. Effect of the Notification:

In addition to Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited (RCF), Import of Urea is allowed through National Fertilizers Limited (NFL) and Indian Potash Limited (IPL) subject to Para 2.20 of Foreign Trade Policy, 2015-2020. The NFL and IPL are designated as STE for import of Urea on Government account. However, IPL is allowed to import Urea on Government account till 31.03.2022 only. Henceforth, the MMTC and STC are de-notified as STE for import of Urea.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/102/AM-02/PC-2(A)Part-II/E-1715] AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.